



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड मान्यता प्राप्त / Accredited with 'A' Grade by NAAC

राजेश अरोड़ा

Rajesh Arora

सहायक कुलसचिव (परिसर विकास) प्रभारी
Assistant Registrar (Campus Development) (I/c)

दूरभाष / Phone : +91-7152-255686

फैक्स / Fax : +91-7152-247602

मोबाइल / Mob. : 9921421521

फा.सं.: 34/2012-13/CAMP/07-1/962

दिनांक 18.07.2019


सूचना

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वर्धा द्वारा पत्र संख्या-मजीप्राजव्यउविव/तांशा/519/2019 दिनांक 16.07.2019 के माध्यम से सूचित किया है कि धाम नदी का जल प्रवाह बंद होने के कारण जल आपूर्ति बंद हो गई है।

जल प्रवाह शुरू होने के बाद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा विश्वविद्यालय को जल आपूर्ति की जा सकेगी। विश्वविद्यालय द्वारा अन्य वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं।

समस्त संबंधित से आग्रह है कि जल संचय करके रखें एवं जल का संयमित उपयोग कर सहयोग करने का कष्ट करें।

सहयोग की कामना के साथ।


(सहायक कुलसचिव)

प्रतिलिपि

1. माननीय कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी महोदय की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी
4. समस्त छात्रावास अधीक्षक
5. लीला प्रभारी (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
6. कुलसचिव कार्यालय
7. संबंधित पत्रावली